

53
24/3

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013

Maughni BhartiPetitioner

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

Subject:- Others, School Service.

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages.
1.	Synopsis.	1 to
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 17
3.	Annexure-1: A true copy of the order dated 2.1.2004. _ _ _ _ _	18
4.	Annexure-2: A true copy of the order dated 23.2.2006. _ _ _ _ _	19
5.	Annexure-3: A true copy of Training Certificate dated 27.2.2008. _ _ _ _ _	20
6.	Annexure-4: A true copy of the Certificate dated 2.3.2009. _ _ _ _ _	21

(46)

Sl.No.	Particulars.	Pages.
7.	Annexure-5: True copy of evaluation Card and Grade Card Status.	22-23
8.	Annexure-6: A true copy of representation dated 8/2.2013.	24
9.	Annexure-7: A true copy of the order dated 12.2.2013.	25-26
10.	Annexure-8: A true copy of representations Series. dated 12.2.2013 and 14.2.2013.	27-29
11.	Annexure-9: A true copy of letter dated 25.4.2013.	30-31
12.	Annexure-10: A true copy of the Letter dated 26.4.2013.	32-
13.	Annexure-11: A true copy of representation dated 4.5.2013.	33
14.	Annexure-12: A true copy of Letter dated 7.5.2013.	34-35
15.	Annexure-13: A true copy of the letter dated 14.5.2013.	36
16.	Annexure-14: A true copy of order dated 5.6.2013.	37
17.	Annexure-15: A true copy of circular dated 5.12.2012.	38-42
18.	Vakalatnama of the petitioner.	

In the High Court of Judicature at Patna

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013.

Maughmi BhartiPetitioner.

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

-: SYNOPSIS :-

This is an application for quashing of order dated 12.2.2013 issued by Block Education Officer by which Respondent No.7 has been made as Incharge Headmaster of Middle School, Tengraha West, Kumarkhand, Madhepura and for quashing of order dated 5.6.2013 issued by R.D.D.E., Saharsa by which earlier letter dated 12.2.2013 has been continued has been continued and for direction of Respondent to make the petitioner as Incharge Headmaster of the School as the petitioner is the senior Teacher than the Respondent No.7.

31.12.2003 Petitioner was appointed on the post of Panchayat
PARA-3

Siksha Mitra.

(11)

- 2.1.2004
Ann- 1
PARA- 4
Petitioner was posted at Middle School Tengraha.
- 23.2.2006
Ann- 2
PARA- 5
Petitioner was reappointed on the post of
Panchayat Siksha Mitra.
- 1.7.2007
PARA- 6
As per new Niyamavali of Panchayat Teacher
Appointment the petitioner was converted into Block
Teacher.
- PARA- 7
Respondent No.7 was appointed on the post of
Panchayat Siksha Mitra in the year 2005
- 31.1.2013
PARA - 11
One Sri Manoj Kumar, the headmaster of the School
retired.
- 12.2.2013
Ann- 7
PARA- 14
Respondent No.7 has been made Incharge Headmaster
of the School on the basis of date of birth.
- 12.2.2013
PARA- 15
Petitioner made objection before authority that she
is senior than Respondent No.7 hence she may be made a
Incharge Headmaster.
- 25.4.2013
Ann- 9
PARA- 16
D.P.O.directed to B.E.O. to give charge of Incharge
Headmaster to the petitioner.
- 26.4.2013
Ann- 10
PARA- 17
B.E.O. directed Respondent No.7 to hand over the
Charge to petitioner but nothing done.

(111)

7.5.2013
Ann- 12

D.E.O. directed D.P.O. to give charge of Incharge
Headmaster as per seniority.

14.5.2013
PARA- 21
Ann- 13

R.D.D.E. called for petitioner as well as Respondent
No.7 for producing documents regarding seniority.

21.5.2013
PARA- 22

Petitioner appeared and produced all relevant
Papers.

5.6.2013
Ann- 14
PARA- 23

R.D.E.E. decided seniority as per earlier letter dated
12.2.2013 by which Respondent No.7 was made incharge
Headmaster.

Annexure- 15
PARA- 24.

There is Govt. circular that seniority will be
decided on the basis of joining not date of birth.
Hence this writ application.

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013.

*for perusal of the
Hon. Mr. Justice
Advocate for Patna
A.O.R. no. 05629*

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India.

AND

In the matter of :-

Maushmi Bharti Wife of Ajay Kumar Nirala, Daughter
of Chandraseo Yadav, resident of Village and Post Office
Tengraha, Police Station- Shankapur, District- Madhepura

..... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Director, Primary
Education, Government of Bihar, Patna.

2. The District Magistrate, Madhepura.
3. The Regional Deputy Director of Education, Koshi
Pranandal, Saharsa.
4. The District Programme Officer (Establishment),
Madhepura.
5. The District Education Officer, Madhepura.
6. The Block Education Officer, Kumarkhand, Madhepura.
7. Sunita Kumari, Incharge Head Master, Middle
School, Tengraha, West, Kumarkhand, District-Madhepura

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit,
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and her Companion
Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovesigned;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for issuance of an appropriate writ in the nature of certiorari for quashing of Office order contained as Memo No.86 dated 12.2.2013 issued by Block Education Officer, Kumarkhand by which Respondent No.7 has been made as Incharge Headmaster of Middle School, Tengraha West, Kumarkhand, Madhepara and further for quashing of Office order dated 5.6.201 issued by Regional Deputy Director of Education, Koshi Prasa Mandal, Saharsa by which the earlier letter No.86 dated 12.2.2013 has been continued and for issuance of an appropriate writ in the nature of Mandamus direction to the Respondents to make the petitioner as Incharge Headmaster of Middle School, Tengraha West, Kumarkhand, Madhepara as the petitioner is the senior teacher than the Respondent No.7 and any other appropriate writ, order, direction save and except in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of India and lives within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner was appointed on the post of Panchayat Siksha Mitra on 2 31.12.2003.

4. That vide order dated 2.1.2004 issued by Mukhiya Gram Panchayat, Tengraha Parihari the petitioner was posted at Middle School, Tengraha West Kumarkhand, Madhepura and accordingly petitioner joined there immediately.

A true copy of order

dated 2.1.2004 is annexed

herewith and marked as

Annexure-'1' to this application.

5. That Office order dated 23.2.2006 issued by Mukhiya, Gram Panchayat, Tengraha West the petitioner

was reappointed on the post of Panchayat Siksha Mitra and continued posted as Middle School Tengraha West.

A true copy of the order dated 23.2.2006 is annexed herewith and marked as Annexure-'2' to this application.

6. That on 1.7.2006 the new Niyamavali of Teacher's Appointment has come and since 1.7.2006 all Panchayat Siksha Mitra has been converted into Panchayat Teacher/Block Teacher accordingly the petitioner has been converted into Block Teacher and the petitioner has been working in the school as Block Teacher.

7. That Respondent No.7 was appointed on the post of Panchayat Siksha Mitra in the year 2005 and she was also posted at Middle School, Tengraha West

and on 1.7.2006 Respondent No.7 has also been converted into Block Teacher.

8. That the petitioner got ten days training from 18.2.2008 to 27.2.2008 under Sarv Siksha Abhiyan.

A true copy of Training Certificate dated 27.2.2008 is annexed herewith and marked as Annexure-'3' to this application.

9. That the petitioner also passed the prescribed Courses of Study in Primary Teaching Examination from Indira Gandhi National Open University in December, 2008.

A true copy of Certificate dated 2.3.2009 is annexed herewith and marked as Annexure-'4' to this application.

10. That the petitioner also passed Evaluation Exam. of Primary School 2010 and also passed D.P.E.P programme from Indira Gandhi National Open University in the year 2012.

A true copy of Evaluation Card and Grade Card Status are annexed herewith and marked as Annexure-'5' Series to this application.

11. That on 31.1.2013 one Sri Manoj Kumar who was posted as Headmaster in Middle School, Tengraha West, has been retired on 31.1.2013.

12. That after retirement of Sri Manoj Kumar the post of Headmaster has become vacant and accordingly the petitioner is senior most Teacher in the School among all teachers, hence she is entitled to appoint as Incharge Headmaster in the School, but in place of petitioner Respondent No.7 who is junior than the petitioner has been given the charge of Incharge Headmaster at the School by

the authority.

13. That the petitioner gave representation dated 8.2.2013 to Block Education Officer, Kumarkhand requesting to give Charge of Incharge Headmaster of Middle School, Tengraha because she is senior than the Respondent No.7, then Block Education Officer gave direction to Respondent No.7 to give charge of Incharge Headmaster of the School to the petitioner but Respondent No.7 has not given charge to the petitioner.

A true copy of representation dated 8.2.2013 is annexed herewith and marked as Annexure '6' to this application.

14. That then all of a sudden vide Office order No.86 dated 12.2.2013 the Block Education Officer, Kumarkhand has decided the seniority on the

basis of date of birth and appointed the Respondent No.7 on the post of Incharge Headmaster of the Middle School, Tengraha West.

A true copy of order dated 12.2.2013 is annexed herewith and marked as Annexure '7' to this application.

15. That the petitioner gave representation dated 12.2.2013 and 14.2.2013 to the Block Education Officer, Kumarkhand and District Programme Officer, Madhepura mentioning that Respondent No.7 is junior than the petitioner and she is senior most teacher in the School hence she requested to give charge of Incharge Headmaster of School.

A true copy of representation dated 12.2.2013 and 14.2.2013 is annexed herewith and marked as Annexure '8' Series

to this application.

16. That District Programme Officer vide Letter dated 25.4.2013 directed Block Education Officer, Kumarkhand to decide the Seniority on the basis of joining and to give charge of Incharge Headmaster of the School.

A true copy of the letter dated 25.4.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-'9' to this application.

17. That Block Education Officer, Kumarkhand vide Letter dated 26.4.2013 directed the Respondent No.7 to handover the charge of the Incharge Headmaster of the School within three days.

A true copy of letter dated 26.4.2013 is annexed herewith

and marked as Annexure '10'

to this application.

18. That the petitioner requested the Respondent No.7 to hand over the charge of Incharge Headmaster but Respondent No.7 refused to give charge of Incharge Headmaster of the School.

19. That the petitioner gave representation dated 4.5.2013 to Block Education Officer, Kumarkhand informing him that Respondent No.7 has not given charge then she requested him to hand over the charge of Incharge Headmaster.

A true copy of representation dated 4.5.2013 is annexed herewith and marked as Annexure '11' to this application.

20. That District Education Officer, Madhepura

vide Letter dated 7.5.2013 directed District Programme Officer, Madhepura to give charge of Incharge Headmaster of the School, in accordance with law as per Government Circular dated 5.12.2012 and as per seniority.

A true copy of letter dated 7.5.2013 is annexed herewith and marked as Annexure- ' 12 ' to this application.

21. That the Regional Deputy Director of Education, Koshi Pramandal, Saharsa vide Letter dated 14.5.2013 directed the petitioner to appear before him on 21.5.2013 and produce all relevant documents in support of her seniority.

A true copy of letter dated 14.5.2013 is annexed herewith and marked as Annexure- ' 13 ' to this application.

22. That the petitioner appeared before Regional Deputy Director of Education, Saharsa on 21.5.2013 and produced all relevant paper with regard to her appointment and education certificate Respondent No.7 also appeared before R.D.D.E. on relevant date.

23. That Regional Deputy Director of Education did not consider the Seniority of the petitioner and vide order dated 5.6.2013 continued the earlier letter No.86 dated 12.2.2013 issued by Block Education Officer whereby Respondent No.7 has been made Incharge Headmaster of the School on the basis of date of birth.

24. ~~That the~~ A true copy of the order dated 5.6.2013 is annexed herewith and marked as Annexure-14 to this application.

24. That the Respondent authority has not followed the Government Circular dated 5.12.2012 issued

by Education Department whereby it was directed to decide seniority for making Incharge Headmaster of the School on the basis of joining but in the case the seniority has been decided on the basis of date of birth.

A true copy of Circular

dated 5.12.2012 is annexed

herewith and marked as

Annexure-15 to this application.

25. That the petitioner joined on the post of Panchayat Siksha Mitra in the year 2003 whereas Respondent No.7 joined on the post of Panchayat Siksha Mitra in the year 2005 but in spite of that Respondent authority did not consider this aspect and passed such impugned order.

26. That not only that the petitioner also got training of D.P.E. in the year 2003 but this fact has not been considered by the authority concern for making

Incharge Headmaster of the School.

27. That the petitioner is senior than Respondent No.7 in all respect, but in spite of that Respondent No.7 has been made Incharge Headmaster, which is clear violation of Government Circular.

28. That the petitioner is facing humiliation working under a junior teacher since there is no any teacher of District Cadre level posted in the School and as per Government Circular where there is no teacher of District Cadre level there is no Senior teacher of the School will perform duty of Incharge Headmaster/ Headmaster.

29. That the action of Respondent authority is arbitrary, mala fide, malicious, contrary to law and there is violation of Article 14, 16 and 21 of the Constitution of India.

30. That the petitioner has no any other alternative and efficacious remedy other than by way of

this application.

31. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble High Court for the reliefs as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application, issue Rule NISI calling upon the Respondents and after hearing the parties be pleased to allow this application and grant reliefs as prayed in Para-1 to this application.

And/Or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit and proper

And for this, the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT.

I, Maushmi Bharti, aged about 34 years, Wife of Ajay Kumar Nirala Daughter of Chandradeo Yadav, Resident of Village and Post Office-Tengraha, Police Station-Shankapur District-Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and the statements of facts made in Paragraph Nos. 2 to 6, 9 to 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 25 to 29 are true to my knowledge and those made in Paragraph Nos. 7, 11, 14, 16, 17, 20, 23 and 24 are based upon informations derived from the records of the case and the rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photostat copies of their respective originals.

माँसमी भारती

I solemnly affirm the deponent
D. N. Arzaf Ali
to
Mr. U. P. Arzaf Ali
Adv.
P. NO. 77/13

Amulya

(2)

कार्यालय आदेश
ग्राम पंचायत देगराहा परिवहारी

पत्रांक ०/..... दिनांक १.०१.०५.....

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव पटना के पत्रांक 1079 दि० 02.०६.०२ एवं जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा के पत्रांक 2120-200 दिनांक 11.12.०२ के निर्देशानुसार दि० 5.२.०३ के चयन समिति के निर्णय के आलोक में चयनित शिक्षा मित्र की सूची की जाँच प्रमुख विकास पदाधिकारी कुमारखंड के पत्रांक 1190-2 दि० 19.१२.०३ के आदेशों की स्वीकृति दि० 31.१२.०३ के चयन समिति की बैठक में करते हुए श्री संजीव कुमार पिता श्री रामकिशोर राय ग्राम हरिराहा श्री सतीश कुमार पिता श्री भूनेन्द्र यादव ग्राम देगराहा एवं श्री सदानन्द यादव पिता- सुखदेव प्रसाद यादव ग्राम झुरीया की नियुक्ति रद्द करते हुए उक्त आदेश के आलोक में मेथन सूची के आधार पर एवं आरक्षण का पालन करते हुए नीचे अंकित शिक्षा मित्रों का चयन क्रमांक -1 से 4 तक का चयन एवं चयन क्रमांक 5 से 7 तक का पुनः नियोजन किया जाता है। श्रीमति ललिता देवी प्र० वि० परिवहारी से प्र० वि० अमदा परिवहारी में स्थानांतरित सही तस्वीर शिक्षा मित्रों को उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह आदेश दिनांक 31.१२.०३ से प्रमाप्कृत माना जायेगा लेकिन मानद्वेष का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा। यह नियुक्ति अस्थायी एवं स्वरारनामा का पालन करते हुये किसी प्रकार का दावे का अधिकारी नहीं होगा। अगर पंचायत द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित होता है तो उनका पालन करना होगा।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	ग्राम	जन्म तिथि	कोटि	पदस्थापित	स्थिति
1.	श्री शंकर मेहरा	रामजी यादव	हरिराहा	05.05.76	अनारक्षित	प्र० वि० झुरिया	नियोजन
2.	श्रीमति ललिता देवी	संजीव कुमार	हरिराहा	10.06.80	अनारक्षित	प्र० वि० हरिराहा	नियोजन
3.	श्रीमति ललिता देवी	अजय कु. निराला	देगराहा	03.02.79	अनारक्षित	प्र० वि० देगराहा	नियोजन
4.	श्री दीप ना० राम	स्व. गुलटेनराम	परिवहारी	16.05.77	आरक्षित	प्र० वि० परिवहारी	नियोजन
5.	श्रीम नौज कु० यादव	शिव ना० यादव	मछहा	02.01.76	अनारक्षित	प्र० वि० मछहा	पुनः नियोजन
6.	श्रीमति ललिता देवी	चन्द्रमोल यादव	परिवहारी	04.02.77	आरक्षित	प्र० वि० अमदा	पुनः नियोजन
7.	श्री अशोक ठाकुर	वासुदेव ठाकुर	बगडा	01.03.73	आरक्षित	प्र० वि० बगडा	पुनः नियोजन

उपर्युक्त चयनित शिक्षा मित्र के क्रमांक 1 से 4 तक अपने-अपने विद्यालय में योगदान 3 दिनों के अंदर पंचायत कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी

तल्लिपि: जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा प्रमुख विकास पदा० कुमारखंड, प्रमुख शिक्षा प्रसार पदा० कुमारखंड, सम्बन्धित प्र० 310, एवं सम्बन्धित अभ्यर्थी सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

श्रीमति ललिता देवी

21/1/05

ग्राम पंचायत देगराहा परिवहारी

Amr-2

19

कार्यालय,
ग्राम पंचायत देगराडा परिहारी

बिहार सरकार सकेन्द्री प्राथमिक एवं क्लरक शिक्षा विभाग के मार्गदर्शिका
[संतोषित] संकल्प संख्या-845 दिनांक 07-04-05 निर्देशक [प्रा0 शिक्षा]
बिहार पटना के पत्रांक 78 दिनांक 20-01-06 जिला शिक्षा अधीक्षक,
मधेपुरा के पत्रांक 160 दिनांक 16-02-06 एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधि-
कारी, कुमारखंड के पत्रांक 51 दिनांक 20-02-06 के निर्देश के आलोक में
एवं कंडिका 08वे [च] में वर्णित नियमानुसार दिनांक 23-02-06 को
ग्राम पंचायत धन समिति को बैठक में निर्णय के आलोक में सर्व सम्मति
से कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्रों का सेवा में संतोषजनक पाये जाने को
स्थिति में पुनः नियोजन उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया
गया। *सुश्री मान्यता पात्राडा देगराडा*

क्रमांक	शिक्षा मित्र कीर्तिक कानाम	प्रतिनियोजित विद्यालय कानाम	विस्तार	अवधि
1.	मनोज कुमार	प्रा0 वि0 मंडा [प]	अतिरिक्त	11
2.	मलिका देवी	प्रा0 वि0 उमदा परिहारी	पुनः नि0	11
3.	आनंद कुमार	प्रा0 वि0 दमगाडा	11
4.	मौसमी भारती	ग. वि. देगराडा	पुनः नि.	11
5.	दीप ना. राम	प्रा. वि. परिहारी	11
6.	सुमन कुमारी	प्रा. वि. हरिराडा	11
7.	ओम प्रकाश यादव	प्रा. वि. डुमरिया	11

मान्यता पात्राडा
23-2-06
मुख्यालय

ग्राम पंचायत देगराडा परिहारी

क्रमांक 4-1 / दिनांक 23-2-06

प्रतिलिपि :- सम्बन्धित शिक्षक एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनाई एवं आवश्यक कार्याधी प्रेषित ।

मान्यता पात्राडा
23-2-06
मुख्यालय

ग्राम पंचायत देगराडा परिहारी

क्रमांक 4-1 / दिनांक 23-2-06

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, कुमारखंड को सूचनाई प्रेषित ।

मौसमी भारती
20/2/06
20/2/06 देगराडा

मान्यता पात्राडा
23-2-06
मुख्यालय

ग्राम पंचायत देगराडा परिहारी

:- सर्व शिक्षा अभियान :-मधेपुरा

दस (१०) दिवसीय उजाला - १ प्रशिक्षण

वर्ष -2008

स्थान -कन्या मध्य विद्यालय , कुमारखंड , मधेपुरा

:- प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मति ~~मधुसूदन भारती~~ ~~उजाला कुमार खंड~~ पदस्थापित विद्यालय का नाम ~~मध्य~~ ~~कन्या मध्य विद्यालय~~ दिनांक 18.02.08 से 27.02.08 तक दस (१०) दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सत्र में सफलता पूर्वक भाग लिये १ प्रशिक्षण अवधि में इनका कार्य -कलाप उत्तम रहा है ।

सह
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी

समन्नयक
कुमारखंड , मधेपुरा

27/02/08
मिसत्री भारती
No. 10
10/10/08

सं. 57134
No.

अनुक्रमिक
Enrollment No.

075001380

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY



प्रमाणित किया जाता है कि
This is to certify that

Mansami Bharti

को निर्धारित पाठ्यक्रमों को पूरा करने और
after having passed the prescribed courses of study in the
की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर
examination is hereby awarded

December 2008

Certificate in Primary Teaching

प्रदान किया जाता है।



नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक / Dated March 2, 2009

Udair

मुखसचिव
Registrar

29.03.2009

मंसमी भारती
40/510 2009

Amey S Suresh

22



बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, बिहार, पटना - 800006

प्रारम्भिक शिक्षकों का मूल्यांकन परीक्षा - 2010

मूल्यांकन कार्ड

SL.NO - 054278

1. अभ्यर्थी का नाम : MAUSAMI BHARTI
2. पिता/पति का नाम : CHANDRA DEO YADAV
3. रोल नम्बर : 200510161 4. जिला का नाम : MADHEPURA
5. अभ्यर्थी की कोटि : BC
6. शिक्षक का प्रकार : PANCHAYAT 7. शिक्षक की कोटि : GENERAL
8. विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता, जहाँ पदस्थापित हैं : MADHYA VIDYALAYA TENGRAHA
TENGRAHA KUMARKHAND
MADHEPURA 852128
9. परीक्षाफल : (i) पूर्णांक : 100 (ii) प्राप्तांक : 68

स्थान : पटना 05.04.2011
दिनांक :

निदेशक

73

मौसमी भारती

मौसमी भारती

मौसमी

मौसमी

Grade Card Status

Amr 5 Suraj

28

(All programs Except for BIT/ADIT)

Select Program: Enter Enrolment Number:

Indira Gandhi National Open University

Current Grade Card Status as on June 19, 2012

(For information only)

Wednesday, July 04, 2012 12:58:06 PM

Enrolment Number: 075001380

Name: MAUSAMI BHARTI

Program: DPE

The Status is indicative only & cannot be used as a substitute for the final grade card which is sent by SED at the end of a semester.

Course Code	Asgn1	Asgn2	Asgn3	Asgn4	Term End Theory	Term End Practical	Status
ES201	-	-	-	-	D	-	Completed
ES202	-	-	-	-	D	-	Completed
ES203	-	-	-	-	D	-	Completed
ES204	-	-	-	-	D	-	Completed
ES211	-	-	-	-	D	-	Completed
ES212	-	-	-	-	D	-	Completed
ES213	-	-	-	-	D	-	Completed
ES221	B	B	-	-	D	-	Completed
ES222	B	B	-	-	C	-	Completed
PRACT1	B	-	-	-	-	-	Completed
PRACT2	B	B	B	-	-	-	Completed

Not with standing the result published/declared, any case of UFM(Unfair means) if found will make such result null and void.

Note:- Assignment 4 and TE Practical do not apply to all the courses.

290 कर्मिण्डुलु
मौसमी भारती

मौसमी भारती

290 कर्मिण्डुलु
मौसमी भारती

अ नैफघ र -6०

सेवा में,

पुर्छंड शिक्षा पदाधिकारी,

कुमार खंड

विषय :- मध्य विद्यालय टेंगराहा पश्चिम के पुंभार के संबंध में।

महाशय ,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि दिनांक 31.1.2013

के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार यादव सेवा निवृत्त होने के पत्तस्वरूप सुनीता कुमारी को विद्यालय का संपूर्ण पुंभार दे दिया गया है, जबकि इनका नियोजन 2005 में हुआ है, मैं वर्ष 2003 से डीपी.इ.ए. शिक्षित हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विद्यालय का पूर्ण पुंभार मुझे दिलाने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजिका

दिनांक 8.2.2013

मौसमी भारती

पुर्छंड शिक्षिका

म० वि० टेंगराहा प०

गवाह सियाकाला :- श्रीमति सुनीता कुमारी पुंभारी शिक्षक को निर्देश दिया जाता है कि मौसमी भारती आपसे कार्यवरीय है अतः विद्यालय का पुंभार श्रीमति मौसमी भारती को हस्तगत कर दे।

ह०-असपष्ट

8 x 3 2 x

8.2.13

अ न क च र - 7 .

कार्यालय प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी कुमार लक्ष्मण
कार्यालय आदेश

मध्य विद्यालय टैंगरा हा प० मेरठ में दिनांक 31.1.2013 को मनोज कुमार यादव प्रभारी प्रधानाध्यापक नियमित शिक्षक के सेवा निवृत्ति उपरांत विद्यालय का प्रभार सुनीता कुमारी प्रमुख शिक्षिका को दिया गया जो वर्ष 2005 के नियोजित शिक्षिका है, जिसके विरुद्ध मासमी भारती प्रमुख शिक्षिका ने आवेदन दिया जो वर्ष 2003 के नियोजित शिक्षिका है इस आधार पर अधीक्षताक्षरी द्वारा आवेदन पर वरीय शिक्षक को प्रभार देने हेतु आदेश दिया गया था ।

पुनः सुनीता कुमारी प्रमुख शिक्षिका द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुपुरा के पत्रांक 03 दिनांक 4.1.2013 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान, मधुपुरा के पत्रांक 256 दिनांक 2.2.2013 का हवाला देते हुए वरीय शिक्षक होने का दावा किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित पत्रों एवं दोनों शिक्षिका के प्रमाण पत्रों के अवलोकनपरांत सुनीता कुमारी को जन्म तिथि के आधार पर वरीय शिक्षक का निर्धारण किया गया, चूंकि सुनीता कुमारी का जन्म तिथि 5.3.1978 है, जबकि मासमी भारती, प्रमुख शिक्षिका का जन्म तिथि 3.2.1979 है। इस आधार पर सुनीता कुमारी प्रमुख शिक्षिका प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर बने रहेंगे।

हउ अ प ष ट

12.2.13

प्रमुख शिक्षा पदा०

कुमार लक्ष्मण

लगातारपेज 1.

ज्ञापक 86/ कुमार छँ दिनांक 12.2.2013

प्रतिलिपि :- सुनीता कुमारी प्र०अ० / मोसमीभारती प्रखंड शिक्षिका
म० वि० टंगाराहा प० / संकुल समन्वयक म० वि० बेलारी को
सूचनार्थ प्रेषित।

ह०असपष्ट

12.2.13

प्रखंड शिक्षा पदा०

कुमार छँ

अ नंबर - 8 सिरिज

सेवामें,

श्री मान पुरखी शिक्षा पदा० कुमार ठंड

विषय :- विद्यालय के प्रभार के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 31-1-2013 को पूर्व प्रभारी पदा० मनोज कुमार यादव सेवा निवृत्त हो गये हैं, तत्पश्चात विद्यालय में वरीय शिक्षक के रूप में मैं हूँ परंतु सेवा निवृत्त पदा० प्रधानाध्यापक मुझे भी क्लीय शिक्षिका को प्रभार दे दिया गया है। मेरा नियोजन वर्ष 2003 के तर्गत शिक्षा मित्र केंद्र पर किया गया है, एवं उसका नियोजन 2005 में शिक्षा मित्र के रूप में किया गया है मेरा डी. पी. ई. जैसे भी पूर्व-हो चुका है अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त बातों पर ध्यान देते हुए विद्यालय का प्रभार मुझे देने हेतु संबंधित शिक्षिका को आदेश देने की कृपा की जाय।

दिनांक 12-2-2013

विश्वास भाजिका

मोसमीभारती

पुरखी शिक्षिका

म० विद्यालय टंगराहा [प०]

स्वअभिमुखात्

मोसमी भारती

पदा० शिक्षा० म० वि० टंगराहा

अ नेक घर - 8 सिरिज

सेवा मे,

जिलाकार्यक्रम पदाधिकारी

शाखा स्थापना मोपुरा

विषय :- मध्य विद्यालय टंगराहा पश्चिम के प्रधान शिक्षक के प्र-भार के संबंध मे।

महाशय ,

सविषय निवेदन पूर्वक कहना है कि दिनांक 31.1.2013 को प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री मनमोहन कुमार यादव सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप दुर्भाग्यवश से गृहित होकर मुझे कर्तव्य तथा रिस्ते मे घेरा भाइ के पत्नी श्रीमति सुनीता कुमारी को प्रधान शिक्षक के रूप मे विद्यालय का प्रभार रूख-रूखांतरित कर दिया है, श्रीमति सुनीता कुमारी से पहले इनसे से डीपी. इ. प्रशिक्षण कोर्स बीज कोर्स, उजाला 30 दिवसीय । और 2 एवं बोधि संवाद - 1 और 2 भी पूर्ण कर चुकी हैं, साथ ही साथ मेरा नियोजन वर्ष 2003 के तहत शिक्षा मंत्र केन्द्र पर तथा श्रीमति सुनीता कुमारी का नियोजन वर्ष 2005 के तहत शिक्षा मंत्र केन्द्र पर किया गया है, जो विद्यालय शिक्षकों प स्थिति पंजीसे भी प्रमाणीयात होता है, जनवरी 2013 तक श्रीमति सुनीता कुमारी से परीय शिक्षिका के रूप मे विद्यालय उप स्थिति पंजी पर अमना हस्ताक्षर बनाती आइ हूँ, उक्त विषयक संबंधी शिकायत आवेदन जब मे पुरखे शिक्षा पदर 0 कुमार खंडको दी तो मुल आवेदन पर ही श्रीमति सुनीता कुमारी को विद्यालय का प्रभार हस्तगत करने संबंधी निर्देश दिया गया , परंतु निर्देश के बावजूद न प्रभार दिया गया न निर्देश संबंधी पत्र लिया गया ।

अतः श्रीमान से करबद प्रार्थना है कि

लगातारपेज

उक्त तथ्यों पर ध्यान देते हुए मुझे विद्यालय का प्रभार हस्तगत करने संबंधी आदेश पारित कर न्याय की भीति देने की कृपा की जाय ।

विश्वास भाजिका

मोसमीभारती

प्रखंड शिक्षा मध्य वि० टेंगराहा पश्चिम

अंचल सिद्धेश्वर पूर्व

प्रखंड कुमार खंड, पोवायत टेंगराहा पश्चिमी

जिला मधुपुरा

अनुलग्नक :-

1. योगदान सवीकृति पत्र

2. प्रखंड शिक्षा पदा० कुमार खंड के द्वारा विद्यालय प्रभार हस्तगत करने संबंधी निर्देश पत्र

3. इग्नो सेंडी पी. इ. प्रशिक्षण कोर्स में प्रमाण पत्र
समीक्षाया प्रति मे है

हस्ताक्षर

मोसमी भारती

म० वि० टेंगराहा

अ नैकष र - 9.

पत्रांक 814

प्रेषके,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

स्थापना मधेपुरा

सेवा मे,

प्रुखंड शिक्षा पदाधिकारी,

कुमार खंड मधेपुरा

मधेपुरा दिनांक 25.4.13

विषय :- आपके पत्रांक 86 दिनांक 12.2.12 से संशोधन करने के संबंध मे।
महाहाय ,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे अंकित करना है कि मासमीभारती प्रुखंड शिक्षा का नियोजन वर्ष 2003 है तथा सुनीता कुमारी का नियोजन वर्ष 2005 है जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 03 दिनांक 4.1.13 के कंडिका मे स्पष्ट अंकित है कि योगदान तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण होगा।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आपने अपने कार्यालय पत्रांक 86 दिनांक 12.2.13 मे सुधार कर वरीयता का निर्धारण करे योगदान तिथि के आधार पर वरीय प्रुखंड शिक्षा मासमीभारती को जीप धालय प्रुभार हतगत करना सुनिश्चित करे तथा कृत कारवाइ के अधोहताक्षरी को भी अवगत करना सुनिश्चित करे।

विश्वास भाजन

ह0अस्तपष्ट 24 25.4.13

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना मधेपुरा

डावांक 814 मधेपुरा दिनांक 25.4.13

प्रतिलिपि :- मासमीभारती प्रुखंड शिक्षा म0 वि0 टंगराहा पश्चिम

कमा

लगा तारपत्र

प्रतिलिपि :- मातमी भारती पूर्ववर्षिका शिक्षा म० वि०

टंगराहा ःषिषम ः कुमार ल्ह को सुषनार्थ प्रेषित।

ह०अत्मष्ट

25.4.13

अभिमुमाणिगत

मातमीभारती

प्र० शिक्षा

म०वि० टंगराहा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना ः मधुपुरा

अ नेक च र - 10.

पत्रांक 296

प्रेषक,

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
कुमार लैंड

प्रेषित,

प्रधान शिक्षक/ शिक्षिका

मध्य विद्यालय टेंगराहा पीपुसा

कुमार लैंड दिनांक 26.4.13

विषय :- विद्यालयका संपूर्ण प्रभार वरीय प्रखंड शिक्षिका मांसमी
भारती केका देने के संबंधमे।

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे सूचितकरना है कि अभ्यावेदन के आलोक मे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/स्थापना मधेपुरा के ज्ञापांक 814 दिनांक 25.4.13 के आदेश के आलोक मेसुनीता कुमारी प्रखंड शिक्षिका से दाय्यन तिथिके आधार पर वरीयप्रखंड शिक्षिका मांसमी भारतीको पत्र पेशि प्राप्त कीतिथि से तीन दिना के अंदर विद्यालयका संपूर्ण प्रभार हेंत गत करना सुनिश्चित करे तथा लख कृत कारवाइ से अधीहता क्षरी कोभी अवगतकराना सुनिश्चितकरमकरे।

विश्वास भाजन

ह0

प्रखंड शिक्षा पदा 0 कुमार लैंड

ज्ञापांक 246 कुमार लैंड दिनांक 26.4.13

प्रतिलिपि:- मांसमीभारती प्रखंड शिक्षिका म0वि0 टेंगराहा प0 एवं
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/स्थापना मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0अपष्ट

प्रखंड शिक्षिका भारती

ह0अपष्ट

प्रखंड शिक्षिका म0 वि0 टेंगराहा

26.4.13

प्रखंड शिक्षिका पदा 0 कुमार लैंड

अ नैक्य र - 11.

सेवा में,

मुख्य शिक्षा पदाधिकारी कुमार सिंह

विषय :- विद्यालय के संपूर्ण प्र-भार के संबंध में।

महाशय ,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि भवदीय पत्रांक 296 दिनांक 26.4.2013 आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय टंगराहा ४ प० में वरीय मुख्य शिक्षा मांसमीभारती को विद्यालयका संपूर्ण प्र-भार देने हेतु दिनांक 30.4.2013 को प्रभारी प्रधानाध्यापक को वत्र हस्तगत कराया गया लेकिन प्रभार देनेसे इंकार कर रही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे विद्यालयका संपूर्ण प्रभार दिलाने की महती कृपा की जाय ।

विश्वास भाषिका

मांसमीभारती

मुख्य शिक्षिका

मध्यविद्यालय टंगराहा प०

संघायत टंगराहा परिहारी

मुख्य कुमार सिंह मधेपुरा

दि० 4-5-2013

ह०अपष्ट

पु०शि० म० वि० टंगराहा

अ नैक र - 12

पत्रांक

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

स्थापना , मधेपुरा

मधेपुरा , दिनांक

विषय :- मध्य विद्यालय पश्चिम के पुनार के संबंध में।

पुस्तक:- आपका पत्रांक 814 दिनांक 25-4-2013

महाशय ,

उपर्युक्त विषय एवं पुस्तक के संबंध में अंकित करना है कि आपने अपने पत्रांक 814 दिनांक 25-4-2013 के द्वारा अधीनस्थताक्षरी के ज्ञापक 03 दिनांक 4-1-2013 के आलोक में मध्य विद्यालय टंगराहा एप 09 परबल कुमार रॉड के पुनार के संबंध में प्रकृत शिक्षा पदाधिकारी, कुमार रॉड को सशोधन पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है, आपके द्वारा निर्गत पत्रांक 814 दिनांक 25-4-2013 के अलावा कतिपय प्रतीत होता है कि उक्त पत्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 809 दिनांक 5-12-2012 के कंडिका 03 के उप कंडिका 1, II, III में अंकित निदेश के आलोक में निर्गत नहीं है।

अतएव आपको निदेश दिया जाता है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 809 दिनांक 5-1-2012 को अधीनस्थताक्षरी के ज्ञापक 03 दिनांक 4-1-2013 के द्वारा आपकी सेवा सहायता है, कंडिका 03 के उप कंडिका 1, II, III में अंकित निदेश के आलोक में आवश्यक कारवाही करते हुए कृपया कारवाही से अधीनस्थताक्षरी के अवगत करायें। यदि निदेशक

प्राथमिक शिक्षा , शिक्षा विभाग

2.

शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 809 दिनांक 5.12.2012 के बाद कोइ पत्र प्रभार से संबंधित निर्गतही जिसके आधार पर आपने अपनेपत्रांक 814 दिनांक 25.4.2013 निर्गत किया हो तोउस पत्र को तुरंत अवलोकित करावे अथवा विभागीय उपयुक्त पत्रांक 809 दिनांक 5.12.2012 का अनुपालन करे।

विश्वासभाजन

ह0 संपष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा

पत्रांक 972 मधेपुरा दिनांक 7.5.13

प्रतिलिपि :- जिले के सभी प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0अस संपष्ट

7.5.2013

सुपरीभाषाणात

मोसमीभारती

पु0 शिा0

म0वि0 टंगराहा

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

पत्रांक 758/11

Amx 13 36

प्रषक:- श्री प्रकाश रंजन कुमार
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

श्रीमति मौसमी भारती प्र० शि०
म० वि० टेंगराहा पश्चिम (कुमारखण्ड) मधेपुरा
श्रीमति सुनिता कुमारी प्र० शि०
म० वि० टेंगराहा पश्चिम (कुमारखण्ड) मधेपुरा

सहरसा, दिनांक 14/5/13

विषय:- विद्यालय प्रभार के संबंध में दिनांक 21.05.13 को 3 बजे अपराहन में
सुनवाई में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रीमति मौसमी भारती प्र० शि० म० वि० टेंगराहा पश्चिम(कुमारखण्ड) मधेपुरा के द्वारा अपने को वरीय मानते हुए विद्यालय के प्रभारी प्र० अ० बनाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13.05.13 के द्वारा कार्यालय में समर्पित किया है। जबकि इनसे कनीय प्रखण्ड शिक्षिका श्रीमति सुनिता कुमारी को प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कुमारखण्ड के पत्रांक 86 दिनांक 12.02.13 के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से विद्यालय का प्रभारी बनाया जाना बताया जा रहा है।

अतः आप दोनों को निदेश दिया जाता है कि आपलोग अपनी अपनी वरीयता के दावे के संबंध में नियोजन से संबंधित पत्र शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागीय पत्र के साथ अघो के कार्यालय में दिनांक 21.05.13 को 3 बजे अपराहन सुनवाई में भाग लेने का कष्ट करें, साथ में शिक्षक पदस्थापना विवरणी भी लावे।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

श्रीमति भारती
प्र० शि०
म० वि० टेंगराहा

14/5/13

14-5/13

कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

कार्यालय आदेश

अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 756 दिनांक 14.05.2013 के द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 21.05.2013 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में की गई सुनवाई के क्रम में प्रकश में आये तथ्यों एवं वरीयता के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुमारखंड, मधेपुरा के पत्रांक 86 दिनांक 12.02.2013 को बरकरार रखा जाता है।

ह०/

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापांक...../सहरसा, दिनांक.....जून, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- संबंधित शिक्षक/संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक म०वि०, टेंगराहा (प०) अंचल-कुमारखंड, जिला-मधेपुरा/संकुल समन्वयक, म०वि०, बेलारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२० —

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

ज्ञापांक.....४६३(१)/सहरसा, दिनांक.....५ जून, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- श्री जीतन राम मांझी, मन्नीय प्रभारी मंत्री बीस सुत्री कार्यक्रम, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
कोशी प्रमण्डल, सहरसा।

४६३/१/१३
५/६/१३

अ नैक्च र - 15.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

सेवामे,

निदेशक प्राथमिकशिक्षा

सभीजिला शिक्षा पदाधिकारी

पटना , दिनांक 5.12.12

विषय :- राज्य के प्राथमिकविद्यालयों के प्रधान शिक्षक तथा स्वयं विद्यालयी के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभार दिये जाने के संबंध में मार्ग निर्देश ।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न श्रेणी तीशब्दों में मिल रही है कि राज्य के प्राथमिकस्वयं स्वयं विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के पद का प्रभार दिये जाने के संबंध में। अलग अलग माप दंड अपनाये जा रहे है, प्रभार के विन्दुओं पर प्रत्येक स्तर पर स्तर पर स्पष्टता नहीं होनेके कारण मनमाने ढंग से विद्यालयों के प्रभारी काय बनाये रखे जाने के कारण कई प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे है, जिस प्रभाव विद्यालय के विकास , प्रयाहन भोजन योजना के संघान एवं बटन पाठन पर पड़ रहा है।

उपर्युक्त विन्दुओं पर सम्यक विचारों परांत सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक स्वयं स्वयं विद्यालयों के निम्न प्रकार प्रभारी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक का प्रभार :-

प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित नहीं है, परीयतम शिक्षक ही विद्यालय के प्रधानशिक्षक के रूप में कार्य करते है, अतएव प्राथमिक विद्यालयों के पदस्थापित शिक्षकों के बीच विकल्पों के अनुसार प्रधान शिक्षक बनाया जाय :-

1. यदि वि

लगातारपेज 1.

1. यदि विद्यालय में वेतनमान के जिला संवर्ग में प्रशिक्षित शिक्षक है, तो प्रथमतः वे विद्यालय के प्रधान शिक्षक होंगे, जिला संवर्ग के एक्के अधिक प्रशिक्षित शिक्षक होने पर परीयतम शिक्षक प्रधान शिक्षक का कार्य करेंगे। जिला संवर्ग के प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होने पर ही संवर्ग के अप्रशिक्षित शिक्षकों प्रभारी बनाया जाय ।

2. यदि विद्यालय में जिला संवर्ग के शिक्षक नहीं हों तभी नियोजित शिक्षकों से परीयतम अप्रशिक्षित शिक्षक के प्रधान शिक्षक बनाइ जाय ।

नियोजित शिक्षकों में परीय कौन होंगे, इसका निर्धारण पत्र

के कंडिका 3 के अनुसार किया जायेगा ।

विद्यालय में प्रधानाध्यापक जिन मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद स्थापन नहीं किया गया है, अथवा नजदीक बगल की विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रभार नहीं दिया गया है, उन विद्यालयों में निम्न रूप से प्रधानाध्यापक

के प्रभार दिया गया :-

वरीयतम शिक्षक प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाय । तना तक वेतनमान के शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान प्रशिक्षित सहित के जिला सर्वग के वरिष्ठ वरीयतम शिक्षक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार दिया जाय ।

उक्त कोटि के शिक्षक के अभाव में जिला सर्वग के वरीयतम अशिक्षित शिक्षक को भी प्रभार दिया जा सकेगा ।

2. नियोजित शिक्षकों को सी. डब्लू. जे. सी. संख्या 6724/09 में दिनांक 23.1.2012 को पारित आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। आदेश के उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी दंड के भागी होंगे।

3. यदि किसी मध्य विद्यालय में जिला सर्वग के एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं होवहां पर विद्यालय के संचालन हेतु नियोजित शिक्षकों के वरीयतम शिक्षक को प्रधान शिक्षक रूप में कार्य करने का आदेश निर्गत किया जाय, जिनके द्वारा विद्यालय के दिनानुदिन के कार्यों का निष्पादन किया जायेगा, किंतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद का प्रभार अगल बगल के विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक को संबंधित प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया जायेगा, ऐसे विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक से संबंधित निर्गत आदेश की घटनात्तर स्वीकृत प्रमुख शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के वित्तीय कार्य विद्यालय कोष का संचालन किया जा सकेगा।

3. नियोजित शिक्षकों की आवश्यक वरीयता :-

नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता निम्नवत निर्धारित की जायेगी/-

दिनांक 17.7.2006 के पूर्व के नियोजित शिक्षा मित्र नियोजन नियमावली 2006 के अनुसार दिनांक 17.7.2006 से पंचायत/पुर्खंड नगर शिक्षक के रूप में सामंजसित किये गइए, इसलिए पंचायत/पुर्खंड नगर शिक्षक के रूप में उनके नियोजन की तिथि 17.7.2006 मानी जायेगी

2. नियोजित शिक्षकों के समान ग्रेड के प्राशिक्षित शिक्षक अशिक्षित शिक्षक से वरीय होंगे।

3. नियोजित शिक्षकों शारीरिक शिक्षकों की वरीयता उसके योगदान करनेवाले शिक्षक के वरीय होंगे नियोजन की तिथि एवं ^{प्रोमोशन} ~~प्रोमोशन~~ की तिथि एकदोनेपर उनकी वरीयता उच्चतर तिथि के स्पष्टपर उनके नाम के अंग्रेजी शब्द कोष के अनुसार क्रम में वरीयता निर्धारित जो प्राशिक्षित के उपरान्त उपर्युक्त के अनुसार ही अशिक्षित की वरीयता की तय की जायेगी

शिक्षक नियोजित शिक्षक अ* होंगे प्राशिक्षक अशिक्षित शिक्षक से वरीय होंगे,।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय के संचालन हेतु उपर्युक्त प्रभावी व्यवस्था अपने वेतनमान / नियत वेतन पर अध्यायी रूप से किया जायेगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा साथ ही विद्यालय का प्रभार देने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि यदि संबंधित शिक्षक

4.

माननी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोकमें जिलासंवर्ग के नव नियुक्त शिक्षक अथवा नियोजित शिक्षक हैं तो उनके पेशीणक / पुरोक्षीणक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया हो। अन्यथा की स्थिति में उनके पत्र की जांच प्राथमिकता के आधार पर करा ली जाय।

विश्वासभाज

हस्ताक्षर

4.12.12

आशुतोष

निदेशक प्राथमिक शिक्षा